परिवहन विभाग

दिल्ली परिवहन निगम

(रा० रा० क्षेत्र, दिल्ली सरकार)

आई०पी० एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

दिल्ली परिवहन निगम में अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी में दर्ज उमीदवारों को Multi Tasking Staff (MTS) के पद पर उम्मीदवारी के लिए दस्तावेजों के अपडेट हेतु सूचना ।

दिल्ली परिवहन निगम में अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ श्रेणी में पंजीकृत अभ्यार्थियों को अल्पावधि अनुबंध के आधार पर MTS पद पर भर्ती हेतु दस्तावेजों अपडेट कराने हेतु निम्नलिखित तिथि और समय व अनुकम्पा क्रम सं. / विवरण अनुसार कार्मिक विभाग- 4, दिल्ली परिवहन निगम, आई०पी० मुख्यालय, इन्द्रप्रस्थ, नई दिल्ली – 110002 में सभी जरुरी मूल दस्तावेजों जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि है तो, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, भूतपूर्व कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा डिपो द्वारा नॉमिनी को दिया गया struck off letter इत्यादि एवं उनकी फोटोकॉपी सहित उपस्थित हों । अतः सभी पंजीकृत अभ्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि आप अनुबंधित MTS के पद पर नौकरी के लिए इच्छुक है तो नीचे दी गयी तालिका में अपने पंजीकृत सं. के अनुसार दी गयी तारीख व समय पर उपस्थित होकर मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध कराएँ ।

अनुकम्पा के आधार पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की क्रम सं.	दिनांक (सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक)
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 02 से 450 तक	25.07.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 451 से 654 तक	27.07.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 663 से 864 तक	28.07.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 865 से 1075 तक	29.07.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 1076 से 1278 तक	01.08.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 1279 से 1480 तक	02.08.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 1484 से 1676 तक	03.08.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 1678 से 1824 तक	04.08.2022
अभ्यार्थी पंजीकृत सं. 1825 से 1911 तक	05.08.2022

भर्ती के नियम :-

1. शैक्षिक योग्यता 10 वीं पास ।
2. आयु सीमा 18-45 वर्ष ।

जो अभ्यार्थी भर्ती के नियमों के अंतर्गत आते है वे अभ्यार्थी उपरोक्त तालिका में दिए गए पंजीकृत सं. के अनुसार दी गई दिनांक को कार्यालय में उपस्थित हों तथा शैक्षिक योग्यता और अधिकतम आयु की गणना दिनांक 01.08.2022 के अनुसार की जायेगी ।

3. आयु में छूट :- आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को 45 वर्ष के पश्चात नियमानुसार आयु में छूट दी जायेगी।

अतः सभी अभ्यार्थियों से अनुरोध हैं कि निम्नलिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करें ।

(1) जिन अभ्यार्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है ऐसे अभ्यार्थियों को आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दी जायेगी ।

(2) सभी अभ्यार्थी उपरोक्त निर्धारित दिनांक व समय पर इस कार्यालय में उपस्थित हो, अन्यथा यह समझा जायेगा कि उसे उपरोक्त अनुकम्पा आधार पर MTS पद पर रोजगार की आवश्यकता नहीं है । अतः उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और ना ही भविष्य में इस पर विचार किया जायेगा ।

(3) उपरोक्त विवरण दिल्ली परिवहन निगम की वेबसाइट http: www.dtc.delhi.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

प्रबंधक (कार्मिक)